उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक विभाग

प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ

संख्या–1/1-2000- का–प्रसको-2008

लखनऊ, 14 नवम्बर, 2008

अधिसूचना संख्या'/1-2000- का–प्रसको-2008, दिनांक 14 नवम्बर, 2008 के साथ प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक प्रशिक्षण नियमावली, 2008 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल।

(2) प्रमुख सचिव, मा० मुख्य मंत्री जी।

(3) प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश शासन।

(4) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(5) महानिदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ।

(6) निदेशक, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध संस्थान, लखनऊ।

(7) समस्त निदेशक/प्रधानाचार्य, प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश।

(8) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(9) समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

(10) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(11) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

(12) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की 02 प्रतियों के साथ इस अनुरोध सहित प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को विधायी परिशिष्ट, भाग–4 खण्ड (ख) (परिनियत आदेश) के अन्तर्गत असाधारण गजट में प्रकाशित करने हेतु।

आज्ञा से,

विनय कुमार श्रीवास्तव,
विशेष सचिव।

क्रम-सं०-481

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०-91/2008-10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 14 नवम्बर, 2008

कार्तिक 23, 1930 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक विभाग-प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ

संख्या-1/1-2000-का-प्रसको-2008

लखनऊ, 14 नवम्बर, 2008

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प०आ०-753

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक प्रशिक्षण नियमावली, 2008

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक प्रशिक्षण नियमावली, 2008 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(3) यह संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के नियंत्रणाधीन व्यक्तियों को छोड़कर, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल की नियम बनाने की शक्ति के अधीन सरकारी सेवकों पर लागू होगी।

अध्यारोही प्रभाव

2–यह नियमावली किसी अन्य सेवानियमावली या आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होगी।

परिभाषायें

3–जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में ;

(क) 'संविधान' का तात्पर्य भारत का संविधान से है ;

(ख) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है ;

(ग) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है ;

(घ) 'सरकारी सेवक' का तात्पर्य किसी लोक सेवा या पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति से है ;

(ङ) 'लोक सेवा या पद' का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल के नियम बनाने की शक्ति के अधीन किसी सेवा या पद से है ;

(च) 'सेवा नियमावली' का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनायी गयी नियमावली से है और जहां ऐसी नियमावली न हो तो सुसंगत सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करते हुए सरकार द्वारा जारी कार्यपालक अनुदेशों से है ;

(छ) 'मौलिक नियुक्ति' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और उस सेवा से संबंधित सेवा नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो।

प्रशिक्षण

4–(1) सेवा में किसी पद पर, चाहे सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, मौलिक रूप से नियुक्त किसी सरकारी सेवक से सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विहित कम्प्यूटर प्रशिक्षण को सम्मिलित करते हुए आधारभूत प्रशिक्षण, सेवाकालीन प्रशिक्षण और पदोन्नति पश्चात प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से प्राप्त करने की अपेक्षा की जायगी। इस प्रयोजन के लिए सरकार का प्रत्येक विभाग, पद या सेवा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कार्यपालक आदेश जारी कर के कम्प्यूटर प्रशिक्षण को सम्मिलित करते हुए आधारभूत प्रशिक्षण, सेवाकालीन प्रशिक्षण और पदोन्नति के पश्चात प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम अवधारित करेगा:

परन्तु सुसंगत सेवा नियमावली में प्रशिक्षण के प्रावधान यदि पहले से विद्यमान हों तो संबंधित सरकारी विभाग द्वारा अन्यथा विनिश्चय किये जाने तक वे अभिभावी होंगे।

(2) समयमान में प्रथम वेतनवृद्धि प्रदान किये जाने के संबंध में सुसंगत सेवा नियमावली के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी सरकारी सेवक को समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसने उपनियम (1) के अधीन विहित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा न कर लिया हो:

परन्तु सरकार के संबंधित विभाग द्वारा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालन में असमर्थ होने की स्थिति में सरकारी सेवक की वेतनवृद्धि इस आधार पर रोकी नहीं जायगी।

प्रशिक्षण नीति के अनुपालन और कार्यक्रमों के आयोजन का उत्तरदायित्व

5–इस नियमावली के अधीन समय से विहित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने और समय–समय पर यथासंशोधित, कार्मिक विभाग–प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/1/96–का–प्रसको–1999, दिनांक 15 नवम्बर, 1999 में दी गयी प्रशिक्षण नीति के अनुपालन के लिए सरकार के स्तर पर, यथास्थिति सरकार के प्रमुख सचिव या सचिव और किसी अन्य स्तर पर विभागाध्यक्ष या कार्यालय का प्रधान, उत्तरदायी होगा।

आज्ञा से,
कुंवर फतेह बहादुर,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of notification no. 1/1-2000-ka-T.C.C.-2008, dated November 14, 2008

No1/1-2000-ka-T.C.C.-2008

Dated Lucknow, November 14, 2008

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules :

THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT SERVANTS TRAINING RULES, 2008

Short title- and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Government Servants Training Rules, 2008

(2) They shall come into force at once.

(3) They shall apply to Government Servants under the rule making power of the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution except the persons under the control of the High Court of Judicature at Allahabad under Article 235 of the Constitution.

Overriding effect.

2. These rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other rules or orders.

Definitions

3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context :

(a) 'Constitution' means the Constitution of India;

(b) 'Government' means the State Government of Uttar Pradesh;

(c) 'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh;

(d) 'Government Servant' means a person appointed to a Public Service or post;

(e) 'Pubic Service or Post' means a service or post under the rule making power of the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution;

(f) 'Service Rules' means any rules made under the proviso to Article 309 of the Constitution and where there are no such rules, any executive instructions issued by the Government, regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the relevant service;

(g) 'Substantive Appointment' means a appointment, not being an *adhoc* appointment, on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the service rules relating to that service.

Training

4.(1) A Government Servant on substantive appointment to a post in the service, whether by direct recruitment or by promotion, shall compulsorily be required to undergo such foundational training after permotion as may be prescribed by the Government from time to time. For this purpose each department of the Government shall, keeping in view the requirements of the post or service, determine the training courses for foundational training including computer training, in service training and training after promotion by issuing executive orders:

Provided that in case the provisions of training already exist in the relevant service rules, they shall prevail unless decided otherwise by the concern department of the Government.

(2) Subject to the other provisions of the relevant service rules regarding the grant of first increment in the time scale, no Government servant shall be allowed his first increment in the time scale unless he has successfully completed the prescribed training course under sub-rule (I):

Provided that in case the concerned department of the Government is unable to conduct the training course, the increment of the Government servant shall not be withheld on this ground.

Responsibility of complying and organising training policy and programmes

5. The Principal Secretary or Secretary, as the case may be to the Government at the Government level and the Head of department or the Head of office at any other level shall be responsible for the compliance of training policy laid down in the Personnel Department Training Co-ordination Cell's Office Memorandum no. 1/1/96-Ka-T.C.C.-1999 dated November 15, 1999, as amended from time to time, and timely organising the prescribed training programmes under these rules.

By order,

KUNWAR FATEH BAHADUR

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 670 राजपत्र(हि0)–2008–(1444)–597 प्रतियां (का0/टी0/आफ0)।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 15 सा0 नियुक्ति–2008–(1445)–5000 प्रतियां (का0/टी0/आफ0)।